10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(51)

श्रीवास्तव
द्वारा दिनांक
को कैम्प भोपाल
-12-17

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय
राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2018/0117 **निगरानी प्रकरण क्रमांक : ....**

01. **प्रहलाद काशलानी**, वयस्क
आत्मज गुरनामल काशलानी

02. **श्रीमती ज्योति देवी काशलानी**, वयस्क
पत्नी श्री प्रहलाद कुमार
दोनों निवासी – 135, प्रभुनगर,
ईदगाह हिल्स, भोपाल .... **प्रार्थीगण**

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर, ज़िला भोपाल .... **प्रतिप्रार्थी**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.11.2017, जो प्रकरण क्र. 615/अपील/2015–16 में श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित किया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा/18/117 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–2–2018	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–11–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि नजूल भूमि के स्थायी पटटे की भूमि के विकय एवं नामान्तरण की कार्यवाही में निर्धारित शर्तो के उल्लघंन पर अधिरोपित शास्ति विधिनुकूल होने से अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	